**महेंद्र रंगा**, भा.रा.से.
मुख्य आयुक्त
**Mahendra Ranga**, IRS
Chief Commissioner

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
कार्यालय मुख्य आयुक्त
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
जयपुर
Government of India
Ministry of Finance
Office of the Chief Commissioner
CGST & Central Excise
Jaipur

D.O. No.: GCCO/TECH/MISC/440/2023

04 **अक्टूबर** 2023

प्रिय साथियों,

## **विषय** : **संवाद - अक्टूबर 2023**

सर्वप्रथम मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत अधिकांश संवर्गों में वार्षिक स्थानांतरण आदेश जारी किए जा चुके हैं। अब यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी अपने नए तैनाती स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यभार ग्रहण करें और राजकीय कार्य प्रारम्भ करें। राजस्थान में मौसम करवट बदल रहा है और पर्यटन सीजन प्रारम्भ हो रहा है। हमे भी गियर बदलने और मुख्य परिणाम क्षेत्रों (KRAs) पर अपने प्रयास केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

2. राजस्व के मोर्चे पर अच्छा समाचार हैं। हमने सितंबर 2023 माह मे पिछले वर्ष सितंबर माह के राजस्व की तुलना मे जीएसटी राजस्व मे 21.27% की वृद्धि हासिल की है। इस माह तक राजस्व वृद्धि दर भी 3.47% से बढ़कर 6.14% हो गई है। आगामी महीनों में यह प्रवृत्ति जारी रखने के लिए हमें विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है।

3. सीजीएसटी, अलवर के अधिकारी, मैसर्स नेक्सा एवरग्रीन धोलेरा ग्रुप द्वारा एकत्र किए गए प्रशासनिक शुल्क और उनके द्वारा अपंजीकृत व्यक्तियों को भुगतान किए गए कमीशन पर रुपये 205 करोड़ की जीएसटी अपवंचना का पता लगाने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। सीजीएसटी, जयपुर ने विभिन्न कॉलेजों से एकत्र संबद्धता शुल्क पर जीएसटी का भुगतान न करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विरुद्ध रूपये 12.49 करोड़ की मांग जारी की है। सीजीएसटी, जयपुर ने ही मेसर्स रेडियंट एंटरप्राईजेज़, जयपुर से रुपये 1.48 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी एवं ब्याज रुपये 39.88 लाख की वसूली की है। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी, जोधपुर ने मैसर्स सीमेंस गेमेसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड जैसलमेर के खिलाफ मैसर्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विंड टर्बाइन जेनरेटर की आपूर्ति के संबंध में वस्तुओं और सेवाओं की

आपूर्ति पर रुपये 69.94 करोड़ के जीएसटी के कम भुगतान के संदर्भ मे मामला दर्ज किया है।

4. डीजीजीआई, जयपुर ने भी माह सितंबर'23 के दौरान दो बड़े मामले दर्ज किए है। एक मामले मे नोटिफ़िकेशन संख्या 12/2017 दिनांक 28.06.2017 के क्रम संख्या 23ए का गलत लाभ उठाने एवं सेवा के गलत वर्गीकरण के द्वारा मैसर्स रींगस सीकर एक्सप्रेसवे लिमिटेड, उदयपुर द्वारा रुपये 25.91 करोड़ के जीएसटी का भुगतान न करने का पता लगाया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, कोटा के विरुद्ध भी जीएसटी की रियायती दर का गलत लाभ उठाने के कारण रुपये 53.79 करोड़ के कम जीएसटी भुगतान एवं सीमेंट एवं टीएमटी बार/ रीइंफोर्समेंट टीएमटी बार इत्यादि की बिना इन्वाइस जारी किए आपूर्ति पर रुपये 22.48 करोड़ के जीएसटी का भुगतान न करने का मामला दर्ज किया गया है। ये दोनों मामले BIFA/ ADVAIT के माध्यम से डेटा का विश्लेषण कर दर्ज किए गए हैं जो इनकी उपयोगिता को सिद्ध करता है। हमें भी इन साधनों का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है।

5. मैं यह भी साझा करना चाहता हूँ कि वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही के दौरान ज़ोन के दोनों अंकेक्षण आयुक्तालयों ने API ग्रेडिंग में ऊर्ध्वगामी रुझान दिखाया है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर ने 48 अंकेक्षण आयुक्तालयों मे से अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर के सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं और मैं आशा करता हूं कि वे इस वर्ष की शेष अवधि मे भी अग्रणी बने रहेंगे।

6. हमारे जोन मे 'PRATIDIN' प्रभावी रूप से लागू हो रहा है। लगता है कि अधीनस्थ कार्यालयों के बीच आशंकाएं हैं कि इससे कार्यभार और रिपोर्टिंग कार्य में वृद्धि होगी। मुझे लगता है कि ये आशंकाएं निराधार हैं। 'PRATIDIN' अधिकारियों के लिए उनके कार्य की योजना बनाने में सहायता करने के लिए एक प्रबंधन उपकरण है। वास्तव में उनके द्वारा यह पहले से ही किसी न किसी रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। इसमें डेटा अपडेट करने में कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन इससे JROs को तत्काल फोकस वाले क्षेत्रों में अपने लंबित मामलों पर निगरानी रखने मे बहुत मदद मिलेगी। हमें केवल दिन के दौरान किए गए काम की मात्रा का निर्धारण करना है और दिन के अंत में इसे 'PRATIDIN' टेम्पलेट में दर्ज करना है। सभी क्षेत्रों की एवं दैनिक आधार पर निगरानी करना भी आवश्यक नहीं है। पर्यवेक्षी अधिकारी प्राथमिकता और तात्कालिकता के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि कौनसे मुख्य परिणाम क्षेत्रों (KRAs) पर किस आवृत्ति मे निगरानी करने की आवश्यकता हैं। मेरा सुझाव है कि सहायक आयुक्त स्तर पर दो दिन में एक बार और आयुक्त साप्ताहिक आधार पर निगरानी करें।

7. हाल ही में, बोर्ड ने सीबीआईसी वेबसाइट पर राजस्व के पक्ष मे दिये गए सेस्टेट निर्णयों का तीसरा ई-संकलन जारी किया है। ये निर्णय सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित हैं। इनमें से कई निर्णयों मे अंतर्निहित सार जीएसटी व्यवस्था में भी प्रासंगिक है। यह सार-संग्रह मामलों की जांच और न्याय निर्णय की प्रक्रिया मे विभागीय अधिकारियों के लिए

अत्यधिक उपयोगी और सार्थक सिद्ध हो सकते हैं।

8. विगत कुछ समय से रेंजों के पुनर्गठन की मांग की जा रही है। मैंने इस मामले में करदाताओं की संख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर सुझाव मांगे हैं। इस संबंध मे सभी हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं।

9. स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक एक विशेष अभियान 3.0 मनाया जा रहा है। मेरा सभी आयुक्तगणो से अनुरोध है कि वे जमीनी स्तर पर अभियान का सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। मुझे आशा है कि हमारा जोन अपशिष्ट निपटान और स्थान प्रबंधन के संदर्भ मे उचित कार्यवाही कर एक अव्यवस्था मुक्त जोन बनेगा।

10. हमें आगामी विधानसभा चुनावो को सम्पन्न कराने में भारत निर्वाचन आयोग की सहायता करने की भी अनिवार्यता है। बोर्ड ने इस संदर्भ में निवारक एवं सतर्कता तंत्र को बढ़ाने के लिए निर्देश संख्या 22/2023-सीमा शुल्क दिनांक 06.07.2023 के माध्यम से एक SOP जारी की है। इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट करने की आवश्यकता है।

11. अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता - भले ही यह सेवानिवृति जैसी ज्ञात घटना हो। जोन की ओर से मैं श्री जय प्रकाश सिंह, प्रधान आयुक्त और श्री आदित्य कुमार गोयल, आयुक्त को उनकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं देता हूँ। हमें दोनों की कमी महसूस होगी। मैं, श्री अब्दुल हमीद, निरीक्षक और श्री सुरेश वाल्मिकी, हेड हवलदार को भी शुभकामनाएं देता हूं, जो पिछले माह सेवानिवृत्त हुए हैं।

12. अंत में, सभी से अनुरोध है की अगले संस्करण के लिए आपके मूल्यवान सुझाव ईमेल cco-tech-jpr@gov.in साझा करें।

अगले अंक तक,

आपका शुभेच्छु,

04-X-2023

**(महेंद्र रंगा)**

**सेवामें: टीम जयपुर जोन**

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(i) अध्यक्ष, सीबीआईसी, नई दिल्ली के ओएसडी।

(ii) निजी सचिव, सदस्य (जीएसटी/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर एवं जोनल प्रभारी), सीबीआईसी, नई दिल्ली।